न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 68/2022/प्रार्थना पत्र/बउनवान/मुरारी लालबनाम घींसीबाई वगै0
जीसीएमएस संख्या 2022/238

1. मुरारी लाल पुत्र सीताराम जाति नाई निवासी महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. घींसी बाई पत्नि कृष्णागोपाल जाति भीणा निवासी महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील प्रार्थीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
वकील अप्रार्थीगण : श्री हरिओम यादव
दायरा दिनांक: 01.09.2022

निर्णय दिनांक : 04.03.2025

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि :–

1. यह कि मिसल नम्बर 244 दिनांक 12.01.1983 से प्रार्थी को ग्राम महुआ तहसील मांगरोल में साबिक खसरा नं. 177 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 178 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 179 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं. 215/4 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा आराजी का आवंटन हुआ। खसरा नं. 215 मि. रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा में से प्रार्थी को मात्र 14 बिस्वा भूमि ही आवंटन हुई।
2. यह कि प्रमाण पत्र किश्त में दर्शाया गया है कि आवंटन राशि 1241/–रु. जमा करानी थी जो एकमुश्त भी जमा करा सकते थे और 5 किस्तों में भी आवंटन राशि जमा करानी थी, प्रार्थी द्वारा समस्त आवंटन राशि तहसीलदार साहब मांगरोल के कार्यालय में जमा करा दी गई है और दिनांक 16.09.1983 को सम्पूर्ण आवंटित आराजी दखलनामा देकर हलका पटवारी ने कब्जा सम्भला दिया।
3. यह कि साबिक खसरा नं. 177, 178 व 179 के हाल खसरा नं 123/1105 रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 125/1108 रकबा 0.04 है0, कुल किता 2 रकबा 0.26 है0, आराजी वाके ग्राम महुआ तो खातेदारी में दर्ज कर दी गई लेकिन साबिक खसरा नं. 215 रकबा 14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं. 139 रकबा 0.12 येर है प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज नहीं की गई, जबकि प्रार्थी ने समस्त आवंटन आराजी की किस्तें जमा करा दी है, और प्रार्थी अपने आवंटित आराजी साबिक खसरा नं. 215 रकबा 14 बिस्वा हाल खसरा नं. 139 रकबा 0.12 है०, को अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।
4. यह कि यह वाद मात्र साबिक खसरा नं. 215 रकबा 14 बिस्वा हाल खसरा नं. 139 रकबा 0.12 है0, वाके ग्राम महुआ तहसील मांगरोल के वास्ते पेश किया जा रहा है।
5. यह कि खसरा नं. 139 रकबा 0.12 है0, की आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी व खातेदारी की आराजी खसरा नं. 140 रकबा 0.47 है0, वाके ग्राम महुआ से मिली हुई है जैसा कि राजस्व नक्शा ग्राम महुआ से स्पष्ट है कि खसरा नं. 140 के दक्षिणी तरफ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

खसरा नं. 139 रकबा 0.12 है0, आराजी स्थित है जिस पर प्रार्थी आवंटन व दखलनामा दिनांक 16.09.1983 से ही लगातार 39–40 वर्षो से लगातार काबिज काश्त है और वर्तमान में सोयाबीन की फसल बो रखी है गत् 39–40 वर्षो से प्रार्थी के कब्जे काश्त को किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनौती नहीं दी गई है प्रार्थी शांतिपूर्वक काश्त करते चला आ रहा है।

6. यह कि साबिक खसरा नं. 215 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल सैटलमेंट के बाद नवीन खसरा नं. 139 रकबा 1.02 है0, दर्ज किये गये जो गत् की तुलना में 1 बीघा 8 बिस्वा कम कर दिया, जिससे विकार उत्पन्न हो गया है।
7. यह कि अप्रार्थीया क्रम 1 घीसीबाई पत्नि बाबूलाल के खाते में खसरा नं. 139 रकबा 0.80 है0, आराजी दर्ज हो रही है, अप्रार्थी क्रम 1 अपनी कमी पूर्ति आराजी प्रार्थी के रकबे 0.12 है0, से करवाना चाहती है जबकि प्रार्थी तो अप्रार्थी क्रम 1 के पूर्व में से ही 0.12 है0, को 39–40 वर्षो से काश्त करता चला आ रहा है बल्कि ज्यादती तो यह हो गई कि अप्रार्थीया, प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 140 रकबा 0.47 है0, में दखल करने लगी है। काश्त करने का प्रयास करने लगी है।
8. यह कि राजस्व कर्मचारियो की त्रुटि व लापरवाही से प्रार्थी के आवंटन शुदा आराजी साबिक खसरा नं. 215 रकबा 14 बिस्वा हाल खसरा नं. 139 रकबा 0.12 है0, खाते दर्ज होने से रह गई है जबकि प्रार्थी लगातार 39–40 वर्षो से 0.12 है0, वाके ग्राम महुआ को काश्त कर रहा है तथा आवंटित आराजी खसरा नं. 139 रकबा 0.12 है0, को अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी हो गया है।
9. यह कि अप्रार्थी क्रम 1 की आराजी से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है यदि अप्रार्थीया क्रम 1 की आराजी का रकबा कम है तो अप्रार्थीया अपना रकबा पूरा कराने के लिए नया वाद या अलग से कार्यवाही पेश कर सकती है।
10. यह कि उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अप्रार्थीया क्रम 1 प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 140 रकबा 0.57 है0, व खसरा नं. 139 रकबा 0.12 है0, में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे इसलिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी क्रम 1 प्राप्त करें, तथा अप्रार्थी क्रम 2 के पक्ष में प्रार्थी की आराजी की पैमाईश न करें।
11. यह कि प्रार्थी का प्राईमाफैसी केस है प्रार्थी खसरा नम्बर 140 रकबा 0.57 हैक्टयर का रिकार्डेड खातेदार है तथा आराजी खसरा नम्बर 139 रकबा 0.12 हैक्टयर पर गत् 40 वर्षो से लगातार काश्त कर रहा है, वर्तमान में भी सोयाबीन की फसल खड़ी हुई है।
12. यह कि सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 139 रकबा 0.12 हैक्टयर वाके महुआ पर अप्रार्थी कब्जा कर लेता है तो निश्चित रूप से प्रार्थी को ज्यादा क्षति होगी क्योंकि प्रार्थी गत् 40 वर्षो से काश्त कर रहा है।
13. यह कि अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेगें।

अतः प्रार्थना है कि ताफैसला वाद एक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 140 रकबा 0.57 हैक्टयर व खसरा नम्बर 139 रकबा 0.12 हैक्टयर आराजी जो कि खसरा नम्बर 140 से मिली हुई है पर अप्रार्थी किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न करे यथास्थिति बनाये रखें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 01.09.2022 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1. यह कि मद नं0. 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है तथा खसरा नं0. 215/4 रकबा 14 बिस्वा सरकारी भूमि में होने से आंवटन किया जाना भी स्वीकार नहीं है।
2. यह कि मद नं0. 02 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार नहीं है तथा दखलनामा दिनांक 16.09.1983 में प्रार्थी द्वारा कब्जा प्राप्त करने की दिनांक 28.03.1983 होने से तथा कथित दखलनामा संदिग्ध प्रतीत होता है।
3. यह कि मद नं0. 3 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है तथा खसरा नं0. 215 रकबा 14 बिस्वा का नया खसरा नं0. 139, रकबा 0.12 है0, बनाया जाना भी स्वीकार नहीं है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में उक्त नंबरों की आराजी दर्ज नहीं है।
4. यह कि मद नं0. 04 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है तथा उक्त भूमि खसरा नं0. की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में न पूर्व में दर्ज थी, न ही वर्तमान में दर्ज है।
5. यह कि मद नं0. 05 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है तथा प्रार्थी का वर्ष 1983 से कब्जा होना स्वीकार नहीं है तथा खसरा नं0. 140 रकबा 0.47 है0, से मिली हुई होना भी स्वीकार नहीं है।
6. यह कि मद नं0. 06 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है तथा खसरा नं0. 215 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा के नये खसरा नं0. सैटलमेंट 2044–63 में नया खसरा नं0. 139 रकबा 1.02 है0, कायम किया गया था जिसमें से वर्तमान में से अप्रार्थी क्रम 1 घींसी बाई के खाते में खसरा नं0. 139 रकबा 0.80 है0, तथा खसरा नं0. 139/1113 रकबा 0.22 है अन्य खातेदार रमेश, राजमल, रामप्रसाद, विमला, सुरेश, हरिमोहन पुत्रान भंवर लाल जाति खटीक के खाते दर्ज है।
7. यह कि मद नं0. 07 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है तथा अप्रार्थी क्रम 1 अपने खाते में दर्ज आराजी खसरा नं0. 139 रकबा 0.80 है0, पर जरिये रजिस्ट्री खरीद दिनांक 22.08.2011 से निरन्तर बेरोकटोक काबिज चली आ रही है इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थी क्रम 1 के खिलाफ दखलअंदाजी करने का प्रयास करने का आरोप गलत होने से स्वीकार नहीं है।
8. यह कि मद नं0. 08 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है तथा प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज नहीं होने एवं भूमि सरकारी सिवाय चक तक खाली नहीं होने से अपने खाते दर्ज करने का अधिकारी नहीं है।
9. यह कि मद नं0. 09 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है।
10. यह कि मद नं0. 10 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है।
11. यह कि मद नं0. 11 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है तथा अप्रार्थी का प्राइमाफैसी केस नहीं बनता है।
12. यह कि मद नं0. 12 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।
13. यह कि मद नं0. 13 प्रार्थना पत्र स्वीकार है।

प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य ळें

विशेष कथन :–

1. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में अपने अपनी आयु 52 वर्ष दर्ज करवाई गई है जबकि अपने आवंटन दिनांक 12.01.1983 एवं दखलनामा दिनांक 16.09.1983 को दिया जाना बताया है इस प्रकार नाबालिग 12–13 वर्ष की आयु में आवंटन होना सत्य प्रतीत नहीं होता है इस कारण उक्त आवंटन अवैध व अविश्वसनीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की मद नं0. 05 में आराजी खसरा नं0. 140 रकबा 0.47 है0, प्रार्थी के खातेदारी में होना अंकित किया है जबकि आराजी खसरा नं0. 140 रकबा 0.57 है0, दर्ज है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा मात्र 1/6 खाते दर्ज है इस प्रकार बिना बंटवारा एवं बिना सहखातेदारान की सहमति से उक्त प्रार्थना अकेले प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि वर्ष 1983 में सरकारी भूमि खसरा नं0. 215/4 रकबा 14 बिस्वा खाता सरकार सिवाय चक दर्ज नहीं थी तथा वर्तमान में बाद सैटलमेंट नया खसरा नं0. 139 रकबा 0.12 है0, सरकारी भूमि सिवाय चक खाता सरकार दर्ज नहीं है तथा कोई खाली भूमि आवंटन योग्य नहीं है इस कारण प्रार्थी सरकार से भी किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

4. यह कि वर्ष 1983 मे खसरा नं0. 215 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज थी जिसका नया खसरा नं0. 139 रकबा 1.02 है0, सैटलमेंट सम्वत् 2044 से 63 बनाया गया था जिसमें से खसरा नं0.139 रकबा 0.80 है0, खातेदारान रामचन्द्र, बद्री बाई, वतरी बाई पुत्र/पुत्री/पत्नि शंकर लाल के खाते दर्ज थी जिसे जरिये रजिस्ट्री दिनांक 12.08.2011 को अप्रार्थी क्रम 1 घींसी बाई द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जब से अप्रार्थी क्रम 1 का पारिवार काबिज काश्त चला आ रहा है।

5. यह कि खसरा नं0. 139 रकबा 1.02 है0, में से शेष आराजी 0.22 है0, का नया खसरा नं0. 139/1113 रकबा 0.22 है0, बनाया गया था जो वर्तमान खातेदारान रमेश, राजमल, रामप्रसाद, विमला, सुरेश, हरिमोहन पुत्र/पुत्री भंवर लाल जाति खटीक के खाते दर्ज है इस प्रकार उनको पक्षकार बनाये बिना उपरोक्त प्रार्थना करने योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है।

6. यह कि प्रार्थी द्वारा खसरा नं0. 140 के दक्षिणी और मुताबिक राजस्व नक्शा 0.12 है0, कहीं दर्ज नहीं है। सही तथ्य यह है कि नक्शे में दक्षिणी और खसरा नं0. 139 एवं खसरा नं0. 139/1113 प्रदर्शित इस प्रकार 0.12 है0, भूमि प्रमाणित नहीं होती है इस प्रकार प्रार्थी किसी प्रकार की सहायता न्यायालय श्रीमान् से प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

7. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र लगभग 39–40 वर्ष बाद पेश किया है इस कारण प्रार्थना मियाद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 को जानबूझकर झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है इस कारण प्रार्थी से अप्रार्थी क्रम 1 खर्चा मुकदमा 20000/– रूपये प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीया क्रम 1 की और से प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे तथा खर्चा मुकदमा प्रार्थना पत्र 20000 /– रूपये प्रार्थी से अप्रार्थीया क्रम 1 को दिलाया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओं को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला :** प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वाके ग्राम महुआ तहसील मांगरोल आराजी खसरा नं0. 140 रकबा 0.57 है0, खसरा नं0. 139 रकबा 0.12 है0आराजी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न करने हेतु अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया प्रार्थी को ग्राम महुआ तहसील मांगरोल में साबिक खसरा नं. 177 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 178 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 179 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं. 215/4 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा आराजी का आवंटन हुआ जिसमें से साबिक खसरा नं. 215

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

Scanned by CamScanner

रकबा 14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं. 139 रकबा 0.12 ऐयर प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज नहीं की गई जबकि प्रार्थी ने समस्त आवंटन आराजी की किस्तें जमा करा दी है। अप्रार्थीया क्रम 1 धीरीबाई पत्नि बाबूलाल के खाते में खसरा नं. 139 रकबा 0.80 है0, आराजी दर्ज हो रही है, अप्रार्थी क्रम 1 अपनी कमी–पूर्ति आराजी प्रार्थी के रकबे 0.12 है0, से करवाना चाहती है जबकि प्रार्थी तो अप्रार्थी क्रम 1 के पूर्व में से ही 0.12 है0, को 39–40 वर्षों से काश्त करता चला आ रहा है बल्कि ज्यादती तो यह हो गई कि अप्रार्थीया, प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 140 रकबा 0.47 है0, में दखल करने लगी है। काश्त करने का प्रयास करने लगी है। प्रार्थीगण के विवादित आराजी में हक अधिकार की घोषणा मूल वाद में तय होगी। अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. **अपूरणीय क्षति** : यदि अप्रार्थी कम 1 द्वारा विवादित आराजी पर अवैध कब्जा कर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी की जाती है तो प्रार्थी को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीके पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र,बहस वकील उभयपक्ष, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम महुआ तहसील मांगरोल आराजी खसरा नं0. 140 रकबा 0.57 है0, खसरा नं0. 139 रकबा 0.12 है0 आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

Scanned by CamScanner